अपील क्रमांक 208/बो.प्र./नि.स./2024/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /12/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 208/बो.प्र./नि.सहा./2024

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री रूपानंद सोई, ग्राम–राजासेवैया खुर्द, वार्ड नं.–11, टप्पा, पोस्ट पिथौरा, जिला महासमुन्द (छत्तीसगढ़) पिन–493551 मो.नं. 9424243631 email id :soirn6@gmail.coms	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.12.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री रूपानंद सोई द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 320241124016233 दिनांक 24.11.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 05.12.2024 को कक्ष क्र.SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द में उप अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त श्री मोतीलाल मालेकर के द्वारा नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति" प्रदान करने हेतु दिनांक 30.10.2024 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.11.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 05.12.2024 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट एवं ऑनलाईन माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 05.12.2024 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि "उनके द्वारा मांगी गयी जानकारी पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) लागू नहीं होता है, फिर भी जनसूचना अधिकारी के द्वारा उक्त धारा का हवाला देकर चाही गयी जानकारी व्यक्तिगत होने से नहीं दी सकेगी कहकर" आवेदक को वांछित जानकारी देने से इंकार किये जाने कारण, जानकारी दिलाये जाने बाबत् प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220241030016588 दिनांक 30.10.2024 से संबंधित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष की ओर दिनांक 06.11.24 को प्रस्तुत की गई। नस्ती स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 20.11.24 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी व्यक्तिगत होने से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8(1)(ञ) के तहत दिये जाने का प्रावधान नहीं है, जिससे आवेदक द्वारा वांछित जानकारी नहीं दी जा सकती है। स्थापना कक्ष द्वारा अंकित टीप अनुसार आवेदक/अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/229/छ.ग./2024/ 10270, दि. 20.11.2024 द्वारा सूचित किया गया।

..........2

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है ? प्रकरण के न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी के संबंध स्थापना कक्ष के नस्ती इंचार्ज श्री धनी सिंह सहायक वर्ग–2 से "कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द में उप अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त श्री मोतीलाल मालेकर के द्वारा नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों से संबंधित नस्ती "मंगाकर अवलोकन किया गया। नस्ती में श्री मोतीलाल मालेकर उप अभियंता (सिविल) द्वारा नियुक्ति के समय विभाग में प्रस्तुत व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी मेरिटलिस्ट की प्रति, परीक्षा प्रवेश पत्र की प्रति, विभिन्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

6. श्री मोतीलाल मालेकर उप अभियंता (सिविल) द्वारा नियुक्ति के समय विभाग में प्रस्तुत दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(ञ) की श्रेणी में आते हैं या नही ? यह निराकरण किया जाना आवश्यक है। किसी शासकीय सेवक की शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी उस शासकीय सेवक की व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। तत्संबंध में अधिनियम की धारा 8 (1)(ञ) का उद्धरण निम्नानुसार है :–

> **8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी–**
>
> **(ञ) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथा स्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है**
>
> **परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान–मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।**

अतः अधिनियम की उक्त धारा 8 (1)(ञ) के तहत किसी शासकीय सेवक की शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी नहीं प्रदान किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "गिरीशराम चंद्र देशपांडे बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त 2013 1 SCC 212" एवं "आर.के. जैन बनाम भारत संघ 2013 14 SCC 794" में प्रतिपादित सिद्धांत के तहत किसी शासकीय सेवक के व्यक्तिगत विवरण को अधिनियम की धारा 8 (1)(ञ) के तहत छूट की श्रेणी में माना है। एक अन्य प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2020 5 SCC 481" के पैरा 59 में व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में निम्ननिर्णय पारित किया है :–

> [59] Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are all treated as personal information. Similarly, professional records, including qualification, performance, evaluation reports, ACRs, disciplinary proceedings, etc. are all personal information. Medical records, treatment, choice of medicine, list of hospitals and doctors visited, findings recorded, including that of the family members, information relating to assets, liabilities, income tax returns, details of investments, lending and borrowing, etc. are personal information. Such personal information is entitled to protection from unwarranted invasion of privacy and conditional access is available when stipulation of larger public interest is satisfied. This list is indicative and not exhaustive.

.........3

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी "कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द में उप अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त श्री मोतीलाल मालेकर के द्वारा नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति" में से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1)(ञ) के तहत छूट की श्रेणी में आते हैं, किन्तु नस्ती में उपलब्ध श्री मोतीलाल मालेकर उप अभियंता (सिविल) द्वारा नियुक्ति के समय विभाग में प्रस्तुत व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी मेरिटलिस्ट की प्रति, परीक्षा प्रवेश पत्र की प्रति कुल 2 पृष्ठ लोक दस्तावेज होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1)(ञ) के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। जनसूचना अधिकारी द्वारा अन्य कार्यवाही समय सीमा में अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

8. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:-

(1) अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी"कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द में उप अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त श्री मोतीलाल मालेकर के द्वारा नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति" में से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1)(ञ) के तहत छूट की श्रेणी में आने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकती है।

(2) अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी "कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द में उप अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त श्री मोतीलाल मालेकर के द्वारा नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति" में से व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी मे रिटलिस्ट की प्रति एवं परीक्षा प्रवेश पत्र की प्रति, कुल 2 पृष्ठ लोक दस्तावेज होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8 (1)(ञ) के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आने के कारण अपीलार्थी को उक्त दस्तावेज प्राप्त करने की पात्रता है। उक्त 02 पृष्ठ की जानकारी हेतु अपीलार्थी दस्तावेज शुल्क 2/-प्रति पृष्ठ की दर से कुल 4/-जमाकर जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./208/बो.प्र./नि.स./2024/ 10820 नवा रायपुर, दिनांक 05/12/2024

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेब्रसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।

2 श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 श्री रूपानंद सोई, ग्राम–राजासेवैया खुर्द, वार्ड नं.–11, टप्पा, पोस्ट पिथौरा, जिला महासमुन्द (छत्तीसगढ़) पिन–493551 मो.नं. 9424243631 email id :soirn6@gmail.coms की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

5/XII/24

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)